

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाइडिक विविध तृतीय जमानत आवेदन-पत्र संख्या 5402/2014
शेकर लाल बनाम राज. राज्य

30.05.2014

माननीय न्यायाधिपति श्रीमती निशा गुप्ता

श्री धन्नाराम, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री अनुराग शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रत्याहृत (withdraw) करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की प्रार्थना स्वीकार की जाती है तथा प्रार्थना पत्र को प्रत्याहृत (withdraw) करने के आधार पर निरस्त किया जाता है।

(न्या० निशा गुप्ता)

बीएल जैन/113

All corrections made in the judgement/order have been incorporated in the judgement/order being emailed.
B.L. Jain, PS